

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2024—पौष 29, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच (04).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (42) दिनांक अगस्त 5, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में-2.5%,-

- (i) क्रम संख्या 165 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2711 1200 2711 1300, 2711 19 10” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) क्रम संख्या 165क के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2711 1200 2711 1300, 2711 19 10” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

2. यह अधिसूचना 4 जनवरी, 2024 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (04), दिनांक 19 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 19th January 2024

No. FA-3-33-2017-1-V (04).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely :—

In the said notification, in Schedule I—2.5%,-

- (i) against S. No. 165, in column (2), for the entry, the entry "2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 165A, in column (2), for the entry, the entry "2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10" shall be substituted;

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 4th day of January, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.